न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्या:– 2025/292 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक– 28.10.2025

अनवान

1. राजेन्द्र श्रीमाली पिता प्रेमशंकर श्रीमाली, जाति ब्राहम्ण, उम्र वयस्क, निवासी–439, महावीर कॉलोनी, प्रताप कॉलोनी के पास, बडगांव, उदयपुर(राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमशंकर श्रीमाली पिता मगनलाल जी, जाति ब्राहम्ण, उम्र वयस्क, निवासी–439, महावीर कॉलोनी, प्रताप कॉलोनी के पास, बडगांव, उदयपुर(राज.)
2. रंजना पुत्री प्रेमशंकर श्रीमाली पत्नि मधुसुदन श्रीमाली, जाति–ब्राहम्ण, उम्र वयस्क, निवासी–हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आर.के.हॉस्पीटल के सामने, कांकरोली, राजसमंद(राज.)
3. जुली श्रीमाली पुत्री प्रेमशंकर पत्नि मनीष श्रीमाली, उम्र–वयस्क, निवासी मिराज कोम्पलेक्स के पास, मनवाखेडा, हिरण मगरी, उदयपुर(राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील देलवाडा, जिला–राजसमंद (राज.)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व आदेश 39 नियम 1,2 सी पी सी सपठित धारा 151 जा दी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री वगतराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

विपक्षीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एकपक्षीय।

–: निर्णय :–

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अतंर्गत आदेश 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व आदेश 39 नियम 1,2 सी पी सी व सपठित धारा 151 जा दी का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद ठोस एवं सुदृढ आधारों पर प्रस्तुत कर रखा है जिसमें प्रार्थी को अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैतृक कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम दाडमी, पटवार हल्का नेडच, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र नेडच, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में स्थित है, जिसमें प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 से 03 का अविभाजित हक व हिस्सा निहित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

परिशिष्ट अ खाता संख्या नया 136 पुराना 129 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 875,876 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0252 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 01 का 1/31 वां हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट ब खाता संख्या नया 138 पुराना 133 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 1000,491,533,534,535,536,539,548,549,789,797,807,808,836 कुल किता 14 कुल रकबा 1.5081 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 01 का 1/6 वां हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट स खाता संख्या नया 147 पुराना 140 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 259,260,261,262 कुल किता 04 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 01 का 1/56 वां हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट द खाता संख्या नया 145 पुराना 137 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 257,258 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2023 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 01 का 1/56 वां हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट य खाता संख्या नया 139 पुराना 132 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 276 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 01 का 1/21 वां हिस्सा निहित है।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

परिशिष्ट र खाता संख्या नया 148 पुराना 141 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 799,806 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0632 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 01 का 1/21 वां हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट ल खाता संख्या नया 38 पुराना 36 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 582,587,588 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6449 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 01 का 1/48 वां हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट व खाता संख्या नया 242 पुराना 115 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 227,554,794,796 कुल किता 04 कुल रकबा 0.4805 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 1/2 वां हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट श खाता संख्या नया 154 पुराना 142 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 837,838,928 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1518 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 01 का 1/14 वां हिस्सा निहित है, जिसे आगे चलकर वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जाएगा।

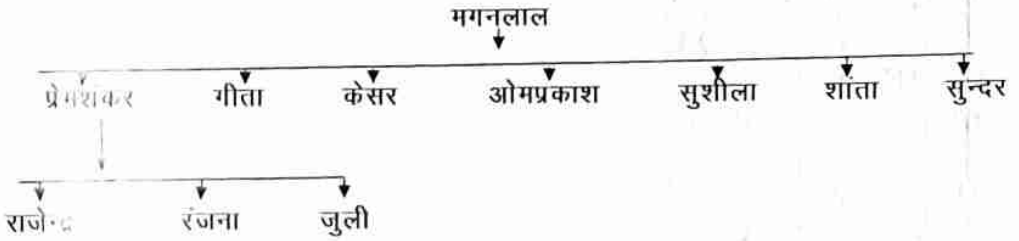

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित परिशिष्ट संख्या अ से लगायत् श में वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थी के दादा जी मूल पुरूष श्री मगनलाल पिता श्री पूर्णाशंकर जी ब्राहम्ण(श्रीमाली) का परिशिष्टों में वर्णित हिस्से के खातेदार थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् मगनलाल जी ब्राहम्ण के वारिसान् की वंशावली निम्न प्रकार है:–

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 के परिशिष्ट संख्या अ से श में वर्णित भूमि पैतृक होकर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 से 03 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है जिसमे प्रार्थी का जन्म से ही उक्त कलम संख्या 02 में वर्णित आराजीयात् में हक, हिस्सा व अधिकार निहित है किन्तु विपक्षी संख्या 01 परिवार का कर्ता खानदान होने से वादग्रस्त कृषि भूमि कलम संख्या 02 के परिशिष्टों में वर्णित आराजीयात् विपक्षी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर विपक्षी संख्या 01 भू–माफियाओं से मिलीभगत कर प्रार्थी की पैतृक भूमि को जिसमे विपक्षी संख्या 01 अपने निहित हिस्से से अधिक प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 व 03 के हिस्से की कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुए विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसका विपक्षी संख्या 01 को कोई कानूनन अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 01 झगडालु प्रवृति का व्यक्ति होने व विपक्षी संख्या 01 की पत्नि की मृत्यु दिनांक 16.07.2025 को होने के पश्चात् मानसिक अवसाद में होने से भूमि दलालों द्वारा विपक्षी संख्या 01 को बहला–फुसलाकर नाजायज लाभ उठा रहे हैं और उक्त कलम संख्या 02 में वर्णित परिशिष्टों की आराजीयातों की कृषि भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा राजस्व ग्राम दाडमी, पटवार हल्का नेडच, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र नेडच, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद (राज.) की आराजी संख्या 1029 से लगायत् 1041,567,568,1025 से लगायत् 1028, 1042, 1127, 1128, 1130, 1131, 1132, 509,510,511,791,793,939,940,941,942 व अन्य कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को पूर्व में विक्रय कर दी गयी है जो प्रार्थी के अधिकारों के मुकाबले बेअसर व शून्य है। वादपत्र की कलम संख्या 02 के परिशिष्ट अ से श में वर्णित आराजीयात् प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 से 03 की पैतृक कृषि भूमि होने से विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा तथा प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 व 03 का 1/4 हिस्सा ही बनता है, फिर भी विपक्षी संख्या 01 द्वारा परिशिष्टों में वर्णित आराजीयात् की कृषि भूमि को विक्रय, रहन, लीज, बक्षीश करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण व अंतरण करने पर आमादा है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित परिशिष्ट अ से श तक की कृषि भूमि पैतृक होकर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 व 03 का जन्म से ही हक–हिस्सा निहित है जो प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 व 03 अपने हिस्से अनुसार खातेदारी करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित परिशिष्ट अ से

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

श में वर्णित भूमि में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 व 03 प्रत्येक को विपक्षी संख्या 01 के खाते में दर्ज भूमि के 1/4,1/4 हिस्से अनुसार खातेदार, काश्तकार घोषित कराया जाना एवं तदनुसार राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दर्ज कराये जाने की डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का वादग्रस्त पैतृक कृषि भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकोर्ड में वादग्रस्त भूमि परिवाद के कर्ता खानदान होने से विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज लाभ उठा विपक्षी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि को भूमि दलालों से मिल विक्रय कर खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है, जिसका कानूनन विपक्षी संख्या 01 का कोई अधिकार नहीं है जिससे प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाया जाना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 01 वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित परिशिष्टों की आराजीयात् की भूमि को उनके 1/4 हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय, रहन, बैह,बक्षीश इत्यादि किसी भी प्रकार से हस्तांतरण एवं अंतरण ना करें एवं प्रार्थी के 1/4 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। उक्त कार्य विपक्षी संख्या 01 स्वंय ना करें ना ही अपने नौकर, एजेंट अन्य से करावें। विपक्षी संख्या 01 प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित परिशिष्टों की आराजीयात् विपक्षी संख्या 01 के कर्ता खानदान होने से नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने का नाजायज लाभ उठा आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी कर रहा है व निरंतर धमकी दे रहा है कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 व 03 की उक्त विवादग्रस्त भूमि अन्य भूमि दलालों को विक्रय,रहन,बैह,बक्षीश कर हस्तांतरण एवं अंतरण कर देगा जिससे विपक्षी संख्या 01 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित परिशिष्टों में वर्णित आराजीयात् में प्रवेश ना करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप ना करें, उक्त कार्य विपक्षी संख्या 01 स्वंय ना करें ना ही अन्य से करावें। प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो विपक्षी संख्या 01 प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर प्रार्थी को मौके से बाहुबल से बेदखल कर देगा एवं विपक्षी संख्या 01 कलम संख्या 02 के परिशिष्टों में वर्णित भूमि को अन्य भूमि दलालों को अपने हिस्से से अधिक की भूमि को विक्रय,रहन,बैह,बक्षीश इत्यादि कर देगा, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका एवजाना नकदी में नहीं आंका जा सकेगा एवं होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नहीं की जा सकेगी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी, इसके विपरित विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से विपक्षी संख्या 01 को कोई हानि नहीं होगी।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व निम्न आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित परिशिष्ट अ से श में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश ना करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप ना करें। उक्त कार्य विपक्षी संख्या 01 स्वंय ना करें ना ही अन्य किसी से करावें तथा विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात् का किसी प्रकार से हस्तांतरण एवं अंतरण ना करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 लगायत् 03 बावजुद सूचना अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 लगायत् 03 के विरूद्व कार्यवाही एक-तरफा करने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमियां प्रार्थी की मौरूसी पैतृक कृषि भूमिया होने से इसमें प्रार्थी का जन्म से अधिकार होकर संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की है।उक्त आराजीयात् विपक्षी संख्या 01 द्वारा विक्रय कर देने की प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात् में हिस्सा निहित है। विपक्षी संख्या 01 उक्त वादग्रस्त आराजीयात् को आगे विक्रय हस्तान्तरण करने पर उतारू है। यदि विपक्षी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाए। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त कृषि भूमियां प्रार्थी की मौरूसी पैतृक कृषि भूमिया होने से इसमें प्रार्थी का जन्म से अधिकार होकर संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की है।उक्त अराजीयात् विपक्षी संख्या 01 द्वारा विक्रय कर देने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजीयात् में हिस्सा निहित है। विपक्षी संख्या 01 उक्त वादग्रस्त आराजीयात् को आगे विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। वाद की बाहुल्यता न हो इसलिए विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश फरमाया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि वादग्रस्त आराजीयात् मौरूसी पैतृक होने से प्रार्थी का भी हक व अधिकार उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में बनना प्रकट होता है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण प्रथम दृष्ट्या होकर, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध आगामी आदेश तक उक्त कृषि भूमि का विक्रय हस्तान्तरण न करने एवं प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 01 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम दाडमी, पटवार हल्का नेडच, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद में स्थित जमाबंदी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या नया 136 पुराना 129 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 875,876 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0252 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 138 पुराना 133 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 1000, 491, 533, 534, 535, 536, 539,548,549,789,797,807,808,836 कुल किता 14 कुल रकबा 1.5681 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 147 पुराना 140 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 259,260,261,262 कुल किता 04 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 145 पुराना 137 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 257,258 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 139 पुराना 132 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 276 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 148 पुराना 141 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 799,806 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 38 पुराना 36 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 582,587,588 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6449 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 242 पुराना 115 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 227,554,764,796 कुल किता 04 कुल रकबा 0.4805 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 154 पुराना 142 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 837,838,928 कुल किता 03 कुल रकबा 0.1518 हैक्टेयर भूमियों में प्रार्थी के हक–हिस्से तक की भूमि का विक्रय–हस्तांतरण नहीं करे अर्थात् प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि की वर्तमान मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। इस हेतु विपक्षी संख्या 01 को पाबंद किया जाता है। त्रावली फैसल शुमार हो/नंबर से कम होकर/मूल वाद के साथ संलग्न होकर/दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, RAS)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द